दैनिक नई दुनिया, भोपाल
25 JUN 2011

रोटी की चिंता दूर

सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार से लाखों टन गेहूं सड़ा देने और गरीबों को बांटने से इंकार करने पर चाहे नाराज हो, किन्तु मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की भावनाओं की कद्र अवश्य की। शिवराज जी ने राज्य की मंडियों में खुले में रखा गेहूं वर्षाकाल में सड़ाने के बजाए उसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को बांटने के निर्देश दिए। राज्य में इस वर्ष भी किसानों से इतना अधिक गेहूं उपार्जित किया था कि उस गेहूं के भण्डारण की जगह ही नहीं बची। पहले सरकार ने इस गेहूं को ग्रीष्मावकाश में बंद पड़े स्कूल भवनों में रखने के निर्देश दिए किन्तु जब स्कूल भवन भी गेहूं के भण्डारण के लिए कम पड़ गए तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गेहूं को सड़ाने के बजाए गरीबों को बांटने के निर्देश दिए। कहा गया कि प्रतिमाह गरीबों को दिया जाने वाला यह गेहूं अब चार माह का इकट्ठा दे दिया जाए, किन्तु जब उन्नीस लाख क्विंटल गेहूं बांटने के बाद भी गेहूं बच गया तो फिर दो महीनों का और अर्थात् छः माह का कोटा एक साथ देने के निर्देश दे दिए गए। यद्यपि इसके बाद भी काफी मात्रा में गेहूं बच गया और खुले में पड़ा गेहूं सड़ने लगा है, किन्तु शिवराज की इस सूझ-बूझ ने जहां गरीबों को रोटी की ओर से छः माह के लिए बेफिक्र कर दिया, वही लाखों क्विंटल गेहूं सड़ने से बच गया और सुप्रीम कोर्ट की भावना को सम्मान भी मिल गया।